

वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण
पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग -46) के किमी० 82 से किमी० 64 के मध्य 18 किमी० दायी पटरी पर, कुल लम्बाई 18 किमी० में एच० डी० डी० तकनीक/ओपन ट्रेंच तकनीक के माध्यम से 12" (300 एम एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावित 0.900 हे० सरंक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी फतेहपुर के कार्यालय में प्रेषित की जा चुकी है, प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित किया जायेगा ।



RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Vice President (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part), Fatehpur & Hamipur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक
सांवावन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर